<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

17 जुलाई 2009

पुनर्वित्त पर ब्याज दर में संशोधन

मुद्रा बाजार की स्थिति, समग्र आर्थिक परिदृश्यों और ग्रामीण क्षेत्रो में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के मद्देनजर, नाबार्ड ने विभिन्न ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआईएस) द्वारा दिए जाने वाले निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइन्ट्स की कमी की है.

15 जुलाई 2009 से संशोधित ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों के लिए 8.5% और सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 8% होगी. पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण के मामले में 50 बेसिस पॉइन्ट्स की विशेष छूट दी गई है.